रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2014/फाल्गुन 15, 1935
No. 113] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2014/PHALGUNA 15, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2014

सा.का.नि. 161(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिन्दी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय, भारत सरकार फार्म भण्डार तथा सहायक निदेशक (मुद्रण), वाह्य मुद्रण शाखा, मुद्रण निदेशालय भर्ती नियम, 1984, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, मुद्रण निदेशालय (शहरी विकास मंत्रालय) में भारत सरकार मुद्रणालयों तथा शाखाओं में सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह "क" राजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह "क" भारत सरकार मुद्रणालय और शाखाएं भर्ती नियम, 2014 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान आदि.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन-बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकारों के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	पेबैंड तथा ग्रेड पे/ वेतनमान	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	05 * (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-3, (15600-39,100 रु.) + ग्रेड वेतन 5400/- रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :—** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं)।	**आवश्यक** (i) स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री; या स्नातक स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री; या स्नातक स्तर पर हिन्दी माध्यम तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा का माध्यम सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम तथा हिन्दी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या स्नातक स्तर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी एक अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या इनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा अन्य अनिवार्य या ऐच्छिक विषय सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; या (ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था में हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली संबंधी कार्य) तथा अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव या ; केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था

						में हिन्दी या अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिन्दी के अतिरिक्त किसी एक अन्य भाषा का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा तक अध्ययन किया हो । **टिप्पण 1 :-** अन्यथा पूर्ण रुप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। **टिप्पण 2 :—** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यार्थियों के मामलों में शिथिल की जा सकती है (हैं)। जब चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्राप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, इसकी सरंचना क्या है	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	<u>**प्रतिनियुक्तिः--**</u> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2(9300-34800 रू) तथा ग्रेड वेतन 4800/-रू या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इसी ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2(9300-34800 रू) तथा ग्रेड वेतन 4600/-रू या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इसी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो ; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2(9300-34800 रू.) तथा ग्रेड वेतन 4200/-रू या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इसी ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों **टिप्पण -1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) : 1. संयुक्त सचिव (मुद्रण निदेशालय का प्रभारी) अध्यक्ष 2.निदेशक (मुद्रण) सदस्य 3.संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुद्रण निदेशालय सदस्य	पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

			अन्य पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण -2** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । **टिप्पण -3** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

[फा. सं. 25/11/2009-ए-II]

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Directorate of Printing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2014

G.S.R. 161 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Hindi Officer, Government of India Presses, Government of India Forms Store and Office of the Assistant Director (Printing), Outside Printing Branch, Directorate of Printing Recruitment Rules, 1984, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' Gazetted post of Assistant Director (Official Language) in the Government of India Presses and Branches in the Directorate of Printing (Ministry of Urban Development), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government of India Presses and Branches, Assistant Director (Official Languages), Group 'A' post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Assistant Director (Official Languages)	05* (2014) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600-39100) and Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	**Essential**: (i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as compulsory or elective subject at the degree level; and (ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in

						Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or a State Government or an Autonomous Body or a Statutory Organization or Public Sector Undertaking or University or recognized research or educational institution; or three years' experience of teaching in Hindi or English or research in Hindi or English under the Central Government or a State Government or an Autonomous Body or a Statutory Organization or Public Sector Undertaking or University or recognized research or educational institution. **Desirable:** Studied any one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10th level from a recognized Board. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age limit and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Not applicable	One year for direct recruits	By deputation failing which by direct recruitment	**Deputation**: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administrations.— (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) and Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1.—** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :— Joint Secretary (in charge of Directorate of Printing) —Chairman Director of Printing —Member. Joint Director (Administration), Directorate of Printing —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of posts.

			shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2. -** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3. -** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 25/11/2009-A. II]

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.